राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–04 / 2003

दीवान सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रहलाद सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने यह अपील इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि उसे वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रत्यर्थी विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 05.08.1993 व 30.01.1995 को दृष्टिगत रखते हुए दिलाया जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.04.2004 (अनुलग्नक–आर1) के द्वारा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला दिनांक 01.01.1991 से दिलाया जा चुका है, जो सही है। अपीलार्थी की यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी को जो चयनित वेतनमान का लाभ पृथक आदेश दिनांक 08.08.2004 से दिलाया गया है, वह दिनांक 01.01.1991 से दिलाया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1986 से प्राप्त होगा क्योंकि उसने पूर्व में 16 वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण कर ली थी।
3. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 01.05.1989 जारी किया गया है, जिसमें चयनित वेतनमान के संबंध में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है:–

" SELECTION SCALE

Every lecturer in the senior scale of pay will be eligible for placement in the Selection scale of pay, if he/she has:

(a) Completed 8 years of service in the senior scale provided that the requirement of 8 years will be relaxed if his/her total service is not less than 16 years;

(b) has a good record in teaching and/or participation in extension activitions;

(c) participated at regular intervals in two refresher courses/summer itstitutes each of approximately 4 week's duration or engaged in other appropriate continuing education programm's of comparable quality as may be specified by the University Grants Commission after placement in the senior scale. Pending the organisation of such programmes on the quality and scale required, relaxation for the requirement of participation in such programmes for specifie periods may be granted by the state Govt. in consultation with the U.G.C."

5. उक्त प्रावधान से प्रकट होता है कि वरिष्ठ वेतनमान श्रृंखला में 8 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा, परंतु निर्धारित 8 वर्ष की शर्त से उन्हीं कर्मचारियों को शिथिलता दी जायेगी, जिन्होंने 16 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली थी।

6. उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश दिनांक 01.05.1989 के उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए और उक्त प्रावधान जो समय–समय पर संशोधित है, उसे भी दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के चयनित वेतनमान के संबंध में पुनर्निर्धारण हेतु जांच कर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। अपीलार्थी को यदि पूर्व की तारीख से चयनित वेतनमान का लाभ देय होता है तो वह लाभ उसे दिया जाये और एरियर की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान भी किया जायें। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)